eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

मानवाधिकार और घरेलु हिंसा

[1]लक्ष्मी देवी
[2]डॉ.विक्रान्त शर्मा
[1]शोधार्थिनी
[2]विभागाध्यक्ष, कला संकाय, हिन्दी विभाग, पी.के. यूनिवर्सिटी, करैरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।

Received: 31 August 2023, Accepted: 01 Sep 2023, Published with Peer Reviewed online: 03 Sep 2023

Abstract

मानव अधिकारों के प्रति सम्मान का विषय प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज के लिये सदैव अति महत्वपूर्ण रहा है। यह सार्वभौमिक रूप में स्वीकारा गया है कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान और उनके संरक्षण एंव प्रोन्नयन के लिए सद्भाविक प्रयास किए बिना कोई भी प्रजातंत्र न तो जीवित रह सकता है और न उसका अस्तितव कायम रह सकता है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्ट्रि से मानव अधिकारों का पोषण और संवर्धन अनेक राजनैतिक प्रणालियों में हो सकता है तथापि इतिहास ने निष्चित रूप से यह साबित कर दिया है कि शक्तिप्राप्त व्यक्तियों की ओर से निर्णयन प्रकिया में यथा संभव अधिकतम पारदर्शिता के वातावरण में ही वे वस्तुतः प्रतिभूत रह सकते हैं।

बीज शब्द– मानवाधिकार, घरेलु हिंसा, महिला संरक्षण एवं मानवीय गरिमा।

Introduction

शासन प्राधिकारियों ने प्रति शासितों के अधिकारों को लिखित रूप देने का विचार सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा जो 1215 का महान चार्टर है – मैं अभिव्यक्त हुआ है। इसी चार्टर में सर्वप्रथम विधि के शासन और मूल स्वतंत्रताओं की महत्ता प्रतिपादित की गई है, तत्पश्चात् अंग्रेजी अधिकार पत्र अमरीकी स्वतंत्रता की घोषणा, मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा तथा अमरीकी अधिकार पत्र का सृजन हुआ। इसी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है सर्वत्र मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिये सन् 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अंगीकार भी एक अति महत्वपूर्ण बात थी तभी से यह आधार वाक्य कि मानव अधिकार आज़ैर मूल स्वतंत्रताएं सभी व्यक्तियों के जन्म–सिद्ध अधिकार हैं, अनेक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में स्वीकार और अभिव्यक्त किया गया है।

मानवधिकार अर्थात मानव का अधिकार इस अधिनियम का सम्पूर्ण नाम ''मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है।'' इसका दायरा सम्पूर्ण भारत है । यह 28 दिसम्बर 1993 को प्रवृत हुआ ।

मानवाधिकार ने जीवन स्वतंत्रता समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गये हैं या अंतराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनी है।

सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वंतंत्र और समान हैं उन्हें बुद्धि और अतंश्चेतना प्रदान की गयी है । उन्हें परस्पर भातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिये। प्रत्येक

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

व्यक्ति इस घोषणा में उपवर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है, इसमें मूल, वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल संपत्ति, जन्म या अन्य प्रस्थिति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा।

घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार निम्न हैं –

1. दासता या गुलामी में न रखे जाने का अधिकार
2. मनमाने ढंग से गिरफ्तार, निरूद्ध या निर्वासन के विरूद्ध अधिकार
3. अपने देष की लोक सेवा में समान सुरक्षा का अधिकार
4. मानव अधिकारों पर अभिसमय और प्रसंविदाएं
5. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा ।

महत्वपूर्ण यह है कि इस आयोग के कृत्य क्या हैं और इसकी शक्तियॉ कहॉ तक हैं–

आयोग के कृत्य और शक्तियां – आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा।

1. स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर –

क) मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुश्प्रेण किए जाने पर

ख) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवल द्वारा उपेक्षा की।

शिकायत के बारे में जॉच करना :

क) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना ।

ख) राज्य सरकार को सूचना देकर राजय सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरूद्ध या दाखिल किए जाते हैं वहॉ के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उन पर सिफारिश करना ।

ग) संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंति रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिये उपायों की सिफारिश करना ।

घ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना।

ड.) समाज के विभिन्न वर्गो के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार, माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

च) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना ।

जॉच से संबंधित शक्तियॉ – आयोग को इस अधिनियम के अधीन षिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होगी जो सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन किसी बाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालनय को हैं, अर्थात –

क) साक्षियों का समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना।

ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेखा करना।

ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना।

ड.) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना।

मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपरोधों का शीघ्र विचारण एंव निवारण करने के लिये केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार ने मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना की है जो उक्त अपरधों का विचारण करने के लिये प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

घरेलु हिंसा : – घरेलु हिंसा सा डोमेस्टिक वॉयलेंस से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ दुर्व्यवहार से है जो घरेलू हिंसा जैसे विवाह के बाद में होती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार का व्यवहार है जो पीड़ित पर सत्ता और नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करता है। डोमेस्टिक वॉयलेंस हाल में आई एन.सी.आर.बी. की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में इजाफा हुआ। इसके अलावा भी घर में होने वाले उत्पीड़न के मामले अक्सर जानकारी के बिना पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं । ऐसे में ये जानना जरूरी होता है कि आखिर घरेलू हिंसा क्या है? इसका कानून क्या है? और क्या कोई घरेलू हिंसा हेल्पलाईन नंबर भी है? और घरेलू हिंसा के कितने प्रकार होते हैं? घर में होने वाली हिंसा को ही घरेलू हिंसा कहा जाता है किसी भी महिला का शारीरिक,मानसिक यहां तक उसकी भावनाओं के साथ भी खिलबाड़ करना या फिर उसके खिलाफ गंदे तरीके के शब्दों का इस्तेमान करना घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। घरेलू हिंसा के बारे में महिला संरक्षण की धारा 2005 में बताया गया है दरअसल ये कानून साल 2005 में आया था इसलिये इसमें 2005 जोड़ा गया है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है और यह मूल रूप से एक साथी पति या पत्नी या परिवार के अंतरंग सदस्य के अधीन है। घरेलू हिंसा पर हम आगे इसके कारणों और प्रभावों के बारे में जानेंगे।

घरेलू हिंसा के प्रकार – घरेलू हिंसा के कई दुष्परिणाम होते हैं जो घरेलू हिंसा के प्रकार पर निर्भर करते हैं। यह शारीरिक रूप से भावनात्मक रूप और यौन शौषण क रूप से यहॉ तक कि आर्थिक रूप में भी होता है। एक शारीरिक शोषणकर्ता शारीरिक बल का प्रयोग करता है जो पीड़ित को घायल करता है या उनके जीवन को किसी भी तरिके से खतरे में डालता है। इसमें मारना पीटना,

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

घूंसा मारना, गला घोटना, थप्पड़ मारना आदि प्रकार की हिंसा शामिल है। इसके अलावा दुर्व्यवहार करने वाला पीड़ित को चिकित्सा देखभाल से भी इंकार करता है।

- **भावनात्मक शोषण** – इस प्रकार के शोषण में शोषणकर्ता व्यक्ति को भावनात्मक प्रकार का शोषणकर्ता है जैसे उसको धमकाना एंव किसी अन्य माध्यम से उसको डराना और उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना आता है। आलोचना भी भावनात्मक शोषण के रूप में गिना जाता है। उसके बाद यौन शोषण होता है जिसमें अपराधी अवांधित यौन गतिविधि के लिए बल प्रयोग करता है।
- **आर्थिक शोषण** – आर्थिक शोषण के तहत शोषणकर्ता किसी भी ऐसे व्यक्ति का शोषण करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो या किसी शोषक ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु शोषणकर्ता से कुछ आर्थिक मदद ली हो तब शोषणकर्ता अपने अनुसार ब्याज आदि लगाकर व्यक्ति का आर्थिक शोषण करता है।
- **यौन शोषण** – किसी भी शोषणकर्ता द्वारा बलात यौन सम्बन्ध और हिंसक शारीरिक शोषण, अमानवीय कृत्य शामिल है एव इसके परिणाम स्वरूप शोषक मानसिक विक्षिप्त व मौत को भी प्राप्त हो सकता है।
- **हिंसा पीड़ित व्यक्ति**– वैसे तो घर–परिवार में कोई भी हिंसा से पीड़ित हो सकता है, माता–पिता,दादा–दादी, या फिर बच्चे या नौकर आदि परन्तु हिंसा का आसान निषाना बुजुर्ग बच्चे या फिर महिलायें होती हैं। घरेलु हिंसा एक भीषण अपराध है जो कई मौतों का कारण भी बनता है। पुरूष प्रधान समाज इस समस्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके अलावा दहेज भी उन प्रमुख कारणों में से एक है जो नवविवाहित दुलहनों के खिलाफ हिंसा का परिणाम है। दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं पर, बुर्जुगों पर शारीरिक हमला करना और भद्दे कमेंट करना आम बात है यह सब घरेलु हिंसा का ही भाग है।

- **वर्तमान परिदृष्य में घरेलु हिंसा**– वर्तमान परिदृष्य में हिंसा का रूप व्यापक हो गया है व्यक्ति अब अमानवीय कृत्य करने लगा है वो इंसान के साथ ही नहीं जानवरों के साथ भी बिना कारण ही हिंसा और दुराचार करने लगा है। वर्तमान में पुरूष वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहा है अब महिलायें भी पुरूषों पर शारीरिक, मानसिक व आर्थिक हिंसा कर रहीं है जैसे– आप ज्योति मौर्य व आलोक का केस ही देख लिजिये इसके अलावा कई महिलायें ऐसी हैं जो अपनी जरा सी गलती से पुरूष वर्ग ही नहीं बच्चों व सास ससुर स्वरूप माता पिता सभी के लिये एक मानसिक प्रताड़ना दे जाती हैं। जिसको शब्दों में ब्यान करना मुष्किल है।

निष्कर्षः – ऐसे समय में एक आदर्ष नागरिक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, मैं वो नम्बर भी यहॉ प्रदर्षित करना अपना नैतिक दायित्व समझता हूॅ, वो नम्बर है **7827170170** इस नम्बर पर आप शिकायत कर सकती हैं इसके अलावा **1091** और **1291** नंबर पर भी महिलायें या कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि व चाहेगा तो उसका नाम और पता गोपनीय रखा जायेगा।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

अधिकतर दुर्व्यवहार करने वाला या तो मानसिक विक्षिप्त होता है या उसे मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होती है।

यदि हम सही मायनों में हिंसा से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो वक्त आ चुका है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिये और एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि हम राष्ट्रव्यापी अनवरत तथा समृद्ध सामाजिक अभियान की शुरूआत करें।